प्रकरण संख्या 28/2015 धनजी बनाम श्रीमती अन्तरी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 से 12 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पैत्रृक भूमि ग्राम गरनावट में स्थित है, जिसके खाता संख्या 16 नया व पुराना 27 के आराजी नंबर 488, 517 व 555/534 तथा खाता संख्या 110 नया व पुराना 93 के आराजी नंबर 173 कुल खेत 4 रकबा 1.82 हैक्टर है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष पूनिया जी थे। सजरे अनुसार वादीगण का संयुक्त 1/7 हिस्सा बनता है। अतः वाद वर्णित आराजियात में वादीगण के 1/7 हिस्से का विभाजन करा जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे तथा वादीगण के हक में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 09.06.2015 से वादीगण का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12.08.2015 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत था एवं अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 211 रा.का.अ. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु नियत थी, किन्तु प्रतिवादी की बिना साक्ष्य लिऐ एवं उक्त प्रार्थना पत्र का बिना जवाब लिये अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में डिक्री जारी कर दी, [illegible] विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध [illegible] है एवं अपीलान्ट के कब्जे को ध्यान में नहीं [illegible] है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्याया[illegible] का र्नीय व डिक्री निरस्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:10 IST
Reason: SelfAttested

फरमायी जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 की ओर से राजकीय पैरोकार ने प्रकरण में राजकीय हित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.04.2015 अनुसार प्रकरण प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत था तथा प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 211 रा.का.अ. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके जवाब हेतु पत्रावली नियत थी, किन्तु बिना प्रतिवादी की साक्ष्य लिऐ एवं बिना प्रतिवादी संख्या 7 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 211 रा.का.अ. का जवाब लिऐ अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर बंटवारे की डिक्री जारी कर दी, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी का जवाब लेकर एवं अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 211 रा.का.अ. के प्रार्थना पत्र पर जवाब लेकर तत्पश्चात् उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.10.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भ–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:10 IST
Reason: SelfAttested